



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi

Website : www.rbi.org.in

ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in



संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस. मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, S.B.S. Marg, Fort, Mumbai - 400 001

फोन/Phone: 022 - 2266 0502

29 सितंबर 2022

भारत सरकार के खज़ाना बिलों की नीलामी का कैलेंडर
(दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए)

केंद्र सरकार की नकदी की स्थिति की समीक्षा के पश्चात, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत सरकार के परामर्श से दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए खज़ाना बिलों के निर्गम के लिए निम्नानुसार राशियां अधिसूचित करने का निर्णय लिया है:

खज़ाना बिलों की नीलामी के लिए अधिसूचित राशि (01 अक्तूबर 2022 से 31 दिसंबर 2022)					
					(₹ करोड़)
नीलामी की तारीख	निर्गम तारीख	91 दिवसीय	182 दिवसीय	364 दिवसीय	कुल
04 अक्तूबर 2022	06 अक्तूबर 2022	10,000	6,000	6,000	22,000
12 अक्तूबर 2022	13 अक्तूबर 2022	10,000	6,000	6,000	22,000
19 अक्तूबर 2022	20 अक्तूबर 2022	10,000	6,000	6,000	22,000
27 अक्तूबर 2022	28 अक्तूबर 2022	10,000	6,000	6,000	22,000
02 नवंबर 2022	03 नवंबर 2022	10,000	6,000	6,000	22,000
09 नवंबर 2022	10 नवंबर 2022	10,000	6,000	6,000	22,000
16 नवंबर 2022	17 नवंबर 2022	10,000	6,000	6,000	22,000
23 नवंबर 2022	24 नवंबर 2022	10,000	6,000	6,000	22,000
30 नवंबर 2022	01 दिसंबर 2022	10,000	6,000	6,000	22,000
07 दिसंबर 2022	08 दिसंबर 2022	10,000	6,000	6,000	22,000
14 दिसंबर 2022	15 दिसंबर 2022	10,000	6,000	6,000	22,000
21 दिसंबर 2022	22 दिसंबर 2022	10,000	6,000	6,000	22,000
28 दिसंबर 2022	29 दिसंबर 2022	10,000	6,000	6,000	22,000
कुल		1,30,000	78,000	78,000	2,86,000

2. भारत सरकार के परामर्श से भारतीय रिज़र्व बैंक के पास, भारत सरकार की आवश्यकताओं, उभरती बाजार स्थितियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर खज़ाना बिलों की अधिसूचित राशि और समय-सारणी में बाजार को विधिवत सूचना देने के बाद संशोधन करने की छूट होगी। इस तरह, यदि बीच में पड़ने वाली छुट्टियों के कारणों सहित ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो इस कैलेंडर में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई परिवर्तन होगा तो उसे प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

3. खज़ाना बिलों की नीलामी भारत सरकार द्वारा [27 मार्च 2018 को जारी तथा समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य अधिसूचना सं. एफ4\(2\)-डब्ल्यूएंडएम/2018](#) में विनिर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/961

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक